न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 28/2017 दिनांक : 05.07.2017

1. खजानी देवी बेवा कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तह. भादरा ।
2. महेश कुमार पुत्र स्व. कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तह. भादरा।
3. दरबारासिंह उर्फ सुरेश पुत्र स्व. कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तहसील भादरा।
4. इन्द्रोदेवी पुत्री स्व. कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तहसील भादरा।
5. कैलाश पुत्री स्व. कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तहसील भादरा।

—अपीलांट

बनाम्

1. ग्राम पंचायत भानगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भानगढ तहसील भादरा।
2. सुरेन्द्र कौर तथाकथित पुत्री हरीराम जाति मेघवाल निवासी भानगढ तहसील भादरा।

— रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इंतकाल सं. 127 दिनांक 16.05.1986 ग्राम पंचायत भानगढ निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः— श्री रामकुमार कस्वां, अधिवक्ता, अपीलांट

निर्णय **दिनांकः— 29.11.2017**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः—

1. यह कि आदेश जेर अपील अदालत मातहत खिलाफ कानून, न्याय, नियम व रूहेदाद मिसल व खिलाफ प्राकृतिक इंसाफ के पारित किये जाने के कारण काबिले इखराजी के है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न अपील प्रस्तुत है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. यह कि आदेश जेर अपील अदालत लिगल, प्रोपर व करक्ट नही होने के कारण निरस्तनीय है।
3. यह कि आदेश जेर अपील अदालत मातहत विद्आउट ज्युरिडिक्शन के व आरबिट्री तौर पर पारित किये जाने के कारण काबिल निरस्तनीय है।
4. यह कि आदेश जेर अपील अदालत मातहत लैण्ड रेवन्यु व लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के मैनेडन्टरी प्रोविजन के विपरित पारित किये जाने के कारण निरस्तनीय है।
5. यह कि भूमि जेर बहस ग्राम भानगढ तहसील भादरा पुराना जिला श्रीगंगानगर वर्तमान जिला हनुमानगढ के खसरा नंबर 452 तादादी 5 बिघा खसरा नं. 453 तादादी 4 बिघा 11 बिस्वा कुल तादादी 9 बिघा 11 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि जीराम, किशना पिसरान हुक्मा 96 हिस्सा व कुरडा वल्द हरचंद 95 हिस्सा कौम मेघवंशी साकिन भानगढ के नाम से खातेदारी थी जिसमे हरचंद व हुक्मा सगे भाई थे व जीराम व किशना के फौत होने पर ग्राम पंचायत भानगढ द्वारा कुरडाराम वल्द हरचंद 95 हिस्सा, सुरेन्द्र कौर पुत्री हरीराम 48 हिस्सा, दुलाराम वल्द किशना 24 हिस्सा मंगला, सुभाष पिसरान हरीसिंह बहिस्सा बराबर 24 हिस्सा का दर्ज कर दिया गया जिसमें जीराम के एक लडका हरीराम फौत होना व उसके एक लडकी सुरेन्द्र कौर पटवारी ने बताई है जबकि हरीराम लावल्द कुआंरा फौत हुआ था उसके कोई संतान नही थी। फिर भी सुरेन्द्र कौर को हरीराम की पुत्री बताकर 48 हिस्सा भूमि उसके नाम गलत रूप से दर्ज कर दी।
6. अपीलांट के पति व पिता फौत हो चुके है व उनके जीवनकाल में ही अपीलांट ने भूमि खरीद कर ली थी इसलिए दुलाराम, मंगला व सुभाष को पक्षकार नही बनाया गया है। इंतकाल संख्या 127 कि पूर्व में उन्हे कोई जानकारी नही थी, नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि उसकी खरीद की गई 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 8 बिस्वा यानि 48 हिस्सा भूमि सुरेन्द्रकौर के नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने ग्राम में पार्टीबाजी के वजह से दर्ज किया है जो काबिल खारिजी के है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा बिना किसी सुनवाई व नोटिस के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पारित किये गये आदेश पर मियाद लागु नही होती फिर भी दफा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से सलंग्न है।

7. सुरेन्द्र कौर नाम की हरीराम की कोई पुत्री नही थी ना ही ग्राम में कोई सुरेन्द्रकौर पुत्री हरीराम है। ग्राम पंचायत ने इंतकाल दर्ज करते समय कोई जांच नही की।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर इंतकाल संख्या 127 दिनांक 16.05.1986 निरस्त फरमाया जावे व अपीलांट के नाम बहिस्सा बराबर भूमि दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय कोई वारिस प्रमाण पत्र नही लिया ना ही किसी प्रकार की जांच की। सुरेन्द्रकौर को हरीराम की पुत्री बताकर 48 हिस्सा भूमि उसके नाम दर्ज कर दी जबकि हरीराम की शादि ही नही हुई थी वह कुआंरा था ना ही उसके कोई औलाद हुई, इस बात की सभी को जानकारी थी परन्तु सरपंच ने पार्टीबाजी की वजह से गलत रूप से इंतकाल में सुरेन्द्रकौर का नाम दर्ज कर उसके नाम भूमि दर्ज कर दी। अतः उक्त इंतकाल विधि विरूद्ध व बिना किसी जांच व दस्तावेज के दर्ज किया गया है जो काबिल खारिजी के है। अपील स्वीकार फरमाई जावे।

ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नही इसलिए एकपक्षीय बहस वकील अपीलांट सुनी गई। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया केवल पटवारी हल्का द्वारा जिस कदर इंतकाल दर्ज किया गया था उसी अनुसार स्वीकृत कर दिया। जबकि अपीलांट का कथन है कि सुरेन्द्रकौर नाम की कोई पुत्री नही थी क्योंकि हरीराम लावल्द फौत हो चुका था। यह तथ्य जांच योग्य थे। पटवारी हल्का द्वारा कैफियत में किसी आदेश का अंकन कर रखा है जबकि इंतकाल विरासतन है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

इंतकाल के साथ किसी प्रकार का आदेश अथवा वारिस प्रमाण पत्र सलंग्न नही है जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने बिना किसी जांच व वारिस प्रमाण पत्र के इंतकाल तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीकशुदा इंतकाल संख्या 127 ग्राम पंचायत भानगढ दिनांक 16.05.1986 अपास्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त कर व जांच कर विधि अनुसार दो माह में पुनः इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर